संख्या:236/2022/844/35-4-2022/001-35-4099/434/2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 05 अगस्त,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-मेरठ की विधान सभा क्षेत्र-हस्तिनापुर में शासनादेश संख्या-481/2021/2386/ 35-4-2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 22 कार्यों की रू. 299.15 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 244.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पत्रांक: 224/त्व0आ0वि0 यो02021-22, दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा 22 कार्यों में से 08 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत 08 कार्यों की अनुमोदित लागत रू. 174.51 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 120.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय के रूप में रू. 54.51 लाख (रूपये चौव्वन लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	ग्राम नारंगपुर गुरूकुल ब्लॉक परीक्षितगढ में मेन रोड से गुरूकुल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	19.68	15.00	4.68
2.	ग्राम जयसिंहपुर ब्लॉक परीक्षितगढ में पीतम के मकान से धर्मपाल के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	26.85	15.00	11.85
3.	ग्राम पूठी, ब्लॉक परीक्षितगढ में अगवानपुर वाले रास्ते से शमशान तक इन्टरलांकिंग निर्माण कार्य।	19.77	15.00	4.77
4.	ग्राम रसूलपर गावडी, ब्लॉक परीक्षितगढ में तुग्गल के मकान से सरदार की दुकान तक इन्टरलांकिंग कार्य निर्माण।	17.89	15.00	2.89
5.	ग्राम सीना, ब्लॉक परीक्षितगढ में गजेन्द्र के मकान से साहब सिंह के मकान तक इन्टरलांकिग टाईल्स निर्माण कार्य।	19.21	15.00	4.21
6.	ग्राम खानपुर बागर, ब्लॉक परीक्षितगढ में समीम के घर से इसराख के मकान तक इन्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	28.58	15.00	13.58
7.	ग्राम मटौरा, ब्लॉक हस्तिनापुर में नेहरू स्मारक इ0 का0 से मन्दिर तक इन्टंरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	23.97	15.00	8.97
8.	ग्राम सैफपुर कर्मचन्दपुर, ब्लॉक हस्तिनापुर में होली चौक से ओमशरण के मकान तक इन्टरलांकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	18.56	15.00	3.56
	योग:	**174.51**	**120.00**	**54.51**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्ययरुपये 54,51,000 (रूपये चौव्वन लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 040 **लेखा शीर्षक** 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद**24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:236/2022/844(1)/35-4-2022/001-35-4099/434/2021तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,मेरठ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,मेरठ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,मेरठ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in